2017-18 CRC

32/2017

ISSN-2229-452X

भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका

भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद् का अर्द्धवार्षिक प्रकाशन

वर्ष–नवम्, अङ्क:–द्वितीय, जुलाई–दिसम्बर, 2017

जरा रूपं हरति धैर्यमाशा
मृत्युः प्राणान् धर्मचर्यामसूया।
कामो ह्रियं वृत्तमनार्यसेवा
क्रोधः श्रियं सर्वमेवाभिमानः।।

कौशल किशोर मिश्र
सम्पादक

330

Scanned by TapScanner

विषय सूची

[illegible]: कौशल किशोर मिश्र

1. समकालीन राजनीतिक चिंतन की दिशा व दशा: भारतीय राजनीतिक दर्शन के सन्दर्भ में — 139-142
   [illegible] सिंह, [illegible]
2. कौटिल्य के आदर्श राज्य संबंधी विचार — 143-146
   रमेश जी. [illegible]
3. समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के रूप में उत्तर-व्यवहारवाद — 147-150
   इन्द्रमणि सिंह
4. पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म-मानववाद का चिंतन : एक समीक्षा — 151-156
   सुचिता [illegible]
5. महात्मा बुद्ध के मानवतावादी चिंतन की प्रासंगिकता — 157-160
   रीना सिंह
6. पंडित जवाहरलाल नेहरू का राजनीतिक चिंतन — 161-162
   सुचित भाऊरावजी चकवे
7. श्री अरविन्द के राजनीतिक विचार — 163-166
   सीमा शर्मा
8. राष्ट्रीय विकास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद एवं आर्थिक विचारों की सार्थकता — 167-170
   भूपेन्द्र प्रताप सिंह
9. आधुनिक भारत के महान चिन्तक: महर्षि दयानन्द सरस्वती — 171-174
   नरेन्द्र सिंह
10. गोलमेज सम्मेलन में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की भूमिका — 175-180
    मीनाक्षी सिंह
11. गाँधीवादी विरासत के सच्चे अनुयायी: टाना भगत — 181-188
    नीरज कुमार
12. दलित उत्थान में बाबू जगजीवन राम का योगदान — 189-194
    देवेन्द्र कुमार
13. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों का विश्लेषणात्मक अध्ययन — 195-198
    ममता
14. प्रौद्योगिकी और प्रशासन — 199-202
    विजय कुमार
15. भारत में पंचायती राज व्यवस्था में ई-शासन की भूमिका — 203-208
    समीर कुमार
16. भारत में प्रौद्योगिकी एवं प्रशासन — 209-214
    लाड़ली कुमारी

330

Scanned by TapScanner

भारतीय राजनीति विज्ञान शोध पत्रिका, वर्ष-नवम्, अङ्कः द्वितीय, जुलाई-दिसम्बर, 2017 ISSN-2229-452X

कौटिल्य के आदर्श राज्य संबंधी विचार

रमेश जी. सुरलकर

राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कुछ नही कहा किन्तु कुछ संयोगवश की गई टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि वह राज्य के दैवी सिद्धांत के स्थान पर सामाजिक समझौते का पक्षधर था । हॉब्ज लॉक तथा रूसों की तरह राज्य की उत्पत्ति से पूर्व की प्राकृतिक दशा को वह अराजकता की संज्ञा देता है । राज्य की उत्पत्ति तब हुई जब 'मत्स्य न्याय' के कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना तथा अपनी कृषि उपज का छठा भाग तथा स्वर्ण का दसवा भाग उसे देना स्वीकार किया । इसके बदले में राजा ने उनकी सुरक्षा तथा कल्याण का उत्तरदायित्व सम्भाला । कौटिल्य राजतंत्र का पक्षधर है ।

राज्य के तत्व का सप्तांग सिद्धांत-

कौटिल्य ने पाश्चात्य राजनीतिक चिन्तकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के चार आवश्यक तत्वों - भूमि, जनसंख्या, सरकार व सम्प्रभुता का विवरण न देकर राज्य के सात तत्वों का विवेचन किया है । इस संबंध में वह राज्य की परिभाषा नही देता किन्तु पहले से चले आ रहे साप्तांग सिद्धांत का समर्थन करता है । कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है तथा उसके सावयव रूप को स्वीकार किया है । राज्य के सभी तत्व मानव शरीर हे अंगो के समान परस्पर संबंधित, अन्तनिर्भर तथा मिल-जुलकर कार्य करते है ।

1. **स्वामी**-राजा शीर्ष के तुल्य है । वह कुलीन, बुद्धिमान, साहसी, धैर्यवान, संयमी, दूरदर्शी तथा युद्ध-कला में निपुण होना चाहिए ।

2. **अमात्य-मंत्री** -राज्य की आँखे है । इस शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने मंत्रीगण, सचिव, प्रशासनिक व न्यायिक पदाधिकारीयों के लिए भी किया है । वे अपने ही देश के जन्मजात नागरिक, उच्च कुल से सम्बधित, चरित्रवान, योग्य, विभिन्न कलाओं में निपुण तथा स्वामीभक्त होने चाहिए ।

3. **जनपद**- भूमि तथा प्रजा या जनसंख्या-राज्य की जंघाएँ अथवा पैर है । जिन पर राज्य का अस्तित्व टिका है । कौटिल्य ने उपजाउ, प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण पशुधन, नदियों, तालाबों तथा वन्यप्रदेश प्रधान भूमि को उपयुक्त बताया है। जनसंख्या में कृषकों, उद्यमियो तथा आर्थिक उत्पादन में योगदान देने वाली प्रजा सम्मिलित है। प्रजा को स्वामिभक्त, परिश्रमी तथा राजा की आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए ।

4. **दुर्ग-किला** -राज्य की बाहें है, जिनका कार्य राज्य की रक्षा करना है । राजा को ऐसे किलों का निर्माण करवाना चाहिए, जो आक्रमक युद्ध हेतु तथा रक्षात्मक दृष्टिकोण से लाभकारी है । कौटिल्य ने चार प्रकार के दुर्गो-औदिक-जल दुर्ग, पर्वत-पहाडी दुर्ग, वनदुर्ग-जंगली तथा धन्वन-मरूस्थलीय दुर्ग का वर्णन किया है ।

5. **कोष-राजकोष** -राजा के मुख के समान है । कोष को राज्य का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्व माना गया है, क्योंकी राज्य के संचालन तथा युद्ध के समय धन की आवश्यकता होती है । कोष इतना प्रचुर होना चाहिए कि किसी भी विपत्ति का सामना करने में सहायक हो। कोष में धन-वृद्धि हेतु कौटिल्य ने कई उपाय बताए है । संकटकाल में राजस्व प्राप्ति हेतु वह राजा को अनुचित तरीके अपनाने की भी सलाह देता है ।

6. **दण्ड-बल, डण्डा या सेना** -राज्य का मस्तिष्क है । प्रजा तथा शत्रु पर नियंत्रण करने के लिए बल अथवा सेना अत्याधिक आवश्यक तत्व है कौटिल्य ने सेना के छः प्रकार बताए है । जैसे- वंशानुगत

Scanned by TapScanner

सेना, वेतन पर नियुक्त या किराए के सैनिक, सैन्य निगमों के सैनिक, मित्र राज्य के सैनिक, शत्रु राज्य के सैनिक तथा आदिवासी सैनिक। संकटकाल में वैश्य तथा शुद्रो को भी सेना मे भर्ती किया जा सकता है। सैनिकों को धैर्यवान, दक्ष, युद्ध कुशल तथा राष्ट्रभक्त होना चाहिए। राजा को भी सैनिकों की सुख-सुविधाओं का धयान रखना चाहिए। कौटिल्य ने दण्डनीति के चार लक्ष्य बताए है, अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करना, प्राप्त वस्तु की रक्षा करना, रक्षित वस्तु का संवर्धन करना तथा संवर्धीत वस्तु को उचित पात्रों में बाँटना।

7. सुहृद-मित्र-राज्य के कान है। राजा के मित्र शान्ति व युद्धकाल दोनों में ही उसकी सहायता करते है। इस सम्बन्ध में कौटिल्य सहज-आदर्श तथा कृत्रिम मित्र भेद करता है। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते है, उसका विनाश आवश्यम्भावी हो जाता है।

इस प्रकार कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत राज्य के सायवय स्वरूप का निरूपण करते हुए सभी अंगो-तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। यद्यपि यह सिद्धांत राज्य की आधुनिक परिभाषा से मेल नही खाता, किन्तु कौटिल्य के राज्य में आधुनिक राज्य के चारों तत्व विद्यमान है। जनपद भूमि व जनसंख्या है, अमात्य सरकार का भाव है तथा स्वामी-राजा सम्प्रभुत्ता का प्रतीक है। कोष का महत्व राजप्रबन्ध, विकास व संवर्धन में है तथा सेना आन्तरिक शान्ति व्यवस्था तथा बाहरी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। विदेशी मामलों में मित्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,किन्तु दुर्ग का स्थान आधुनिक युग में सुरक्षा प्रतिरक्षा के अन्य उपकरणों ने ले लिया है।

राज्य का कार्य :-

प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अनुकरण करते हुए कौटिल्य ने भी राजतंत्र की संकल्पना को अपने चिंतन का केन्द्र बनाया है। वह लौकिक मामलों में राजा की शक्ति को सर्वोपरि मानता है, परन्तु कर्तव्यों के मामलों में वह स्वयं धर्म में बंधा है। वह धर्म का व्याख्याता नही, बल्कि रक्षक है। कौटिल्य ने राज्य को अपने आप में साध्य मानते हुए सामाजिक जीवन में उसे सर्वोच्च स्थान दिया है। राज्य का हित सर्वोपरि है जिसके लिए कई बारवह नैतिकता के सिद्धांतों को भी परे रख देता है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश केवल शान्ति-व्यवस्था तथा सुरक्षा स्थापित करना नही, वरन् व्यक्ति के सर्वोच्च विकास में योगदान देना है। कौटिल्य के अनुसार राज्य के कार्य है -

सुरक्षा सम्बन्धी कार्य -

बाह्य शत्रुओं तथा आक्रमणकारियों से राज्य को सुरक्षित रखना, आन्तरीक व्यवस्था, न्याय की रक्षा तथा दैवी-प्राकृतिक आपदाओं, विपत्तियों, बाढ, भूकंम्प, दुर्भिक्ष, आग, महामारी, घातक जन्तुओं से प्रजा की रक्षा राजा के कार्य है।

स्वधर्म का पालन करना:-

स्वधर्म के अन्तर्गत वर्णाश्रम धर्म-वर्ण तथा आश्रम पद्धति पर बल दिया गया है। यद्यपि कौटिल्य मनु की तरह धर्म को सर्वोपरि मानकर राज्य को धर्म के अधीन नही करता, किन्तु प्रजा द्वारा धर्म का पालन न किए जाने पर राजा धर्म का संरक्षण करता है।

समाजिक दायित्वः-

राजा का कर्तव्य सर्वसाधारण के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। सामाजिक व्यवस्था का समुचित संचालन तभी सम्भव है, जबकि पिता पुत्र, पति-पत्नी, गुरू शिष्य आदि अपने दायित्वों का निर्वाह करें। विवाह-विच्छेद की स्थिती में वह स्त्री-पुरूष के समान अधिकारों पर बल देता है। स्त्रीवध तथा ब्राह्मण हत्या को गम्भीर अपराध माना गया है।

जनकल्याण के कार्यः-

कौटिल्य के राज्य का कार्य क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। वह राज्य को मानव के बहुमुखी विकास का दायित्व सौपकर उसे आधुनिक युग का कल्याणकारी राज्य बना देता है। उसने राज्य को अनेक कार्य सौपे है। जैसे बाँध, तलाब, सिंचाई के अन्य साधनों का निर्माण, खानों का विकास, बंजर भूमि की जुताई, पशुपालन, वन्यविकास आदि। इनके अलावा सार्वजनिक मनोरंजन राज्य के नियंत्रण में था। अनाथों, निर्धनों, अपंगो की सहायता, स्त्री सम्मान की रक्षा, पुनर्विवाह की व्यवस्था आदि भी राज्य के दायित्व थे।

इस प्रकार कौटिल्य का राज्य सर्वव्यापक राज्य है। जन-कल्याण तथा अच्छे प्रशासन की स्थापना उसका लक्ष्य है, जिसमें धर्म व नैतिकता का प्रयोग एक साधन के रूप में किया जाता है। कौटिल्य का कहना है -'प्रजा की प्रसन्नता में ही राजा की प्रसन्नता है। प्रजा के लिए जो कुछ भी लाभकारी है, उसमें उसका अपना भी लाभ है।'एक अन्य स्थान पर उसने लिखा है -'बल ही सत्ता है, अधिकार है। इन साधनों के द्वारा साधय है प्रसन्नता'।

इस सम्बन्ध में सैलेटोरे का कथन है, जिस राज्य के पास सत्ता तथा अधिकार है, उसका एकमात्र उद्देश्य अपनी प्रजा की प्रसन्नता में वृद्धि करना है। इस प्रकार कौटिल्य ने एक कल्याणकारी राज्य के कार्यों को उचित रूप में निर्देषित किया है।

कूटनीतिः-

कौटिल्य ने न केवल राज्य के आन्तरिक कार्य, बल्कि बाह्य कार्यो को भी विस्तार से चर्चा की है। कूटनीति के सम्बन्धों का विश्लेषण करने हेतु उसने मण्डल सिद्धांत प्रतिपादित किया है। कौटिल्य का यह सिद्धांत यथार्थवाद पर आधारित है, जो युद्धों को अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों की वास्तविकता मानकर संधि व समझोते द्वारा शक्ति सन्तुलन बनाने पर बल देता है।

छः सूत्रीय विदेश नीतिः-

कौटिल्य ने विदेश सम्बन्धों के संचालन हेतु छः प्रकार की नीतियों का विवरण दिया है -

1. **संधि** शांति बनाए रखने हेतु समतुल्य या अधिक शक्तिशाली राजा के साथ संधि की जा सकती है। आत्मरक्षा की दृष्टी से शत्रु से भी सन्धि की जा सकती है। किन्तु इसका लक्ष्य शत्रु को कालान्तर निर्बल बनाना है।
2. **विग्रहया** शत्रु के विरूद्ध युद्ध का निर्माण।
3. **यानया** युद्ध घोषित किए बिना आक्रमण की तैयारी.
4. **आसनया** तटस्थता की नीति.
5. **संश्रय** अर्थात आत्मरक्षा की दृष्टी से राजा द्वारा अन्य राजा की शरण में जाना।
6. **द्वैधीभाव** अर्थात एक राजा से शान्ति की संधि करने अन्य के साथ युद्ध करने की नीति। कौटिल्य के अनुसार राजा द्वारा इन नीतियों का प्रयोग राज्य के कल्याण की दृष्टी से ही किया जाना चाहिए।

कूटनीति आचरण के सिद्धांत :-

कौटिल्य ने राज्य की विदेश नीति के सन्दर्भ में कूटनीति के चार सिद्धांतों 1. साम-समझाना, बुझाना, 2. दाम-धन देकर सन्तुष्ट करना, 3. दण्ड-बलप्रयोग युद्ध तथा 4. भेद-फूट डालना का वर्णन किया। कौटिल्य के अनुसार प्रथम दो सिद्धांतों का प्रयोग निर्बल राजाओं द्वारा तथा अंतिम दो सिद्धांतों का प्रयोग

330

Scanned by TapScanner

सबल राजाओं द्वारा किया जाना चाहिए । किन्तु उसका यह भी मत है, कि साम दाम से दाम भेद से और भेद दण्ड से श्रेयस्कर है। दण्ड-युद्ध का प्रयोग अतिम उपाय के रूप में किया जाए, क्योंकि इससे स्वयं की भी क्षति होती है ।

गुप्तचर व्यवस्था:-

कौटिल्य ने गुप्तचरों के प्रकारों व कार्यो का विस्तार से वर्णन किया है । गुप्तचर विद्यार्थी, गृहपती तपस्वी, व्यापारी तथा विष कन्याओं के रूप में हो सकते थे । राजदूत भी गुप्तचर की भूमिका निभाते थे इनका कार्य देश-विदेश की गुप्त सूचनाएँ राजा तक पहुँचाना होता था । ये जनमत की स्थिती का आंकलन व रने, विद्रोहीयों पर नियंत्रण रखने तथा शत्रु राज्य को नष्ट करने में योगदान देते थे । कौटिल्य ने गुप्तचरों को राजा द्वारा धन व मान देकर सन्तुष्ट रखने का सुझाव दिया है ।

कौटिल्य का राज्य-सिद्धांत भारतीय राजनीतिक चिन्तन हेतु महत्त्वपुर्ण देन है। उसने राजनीतिक शास्त्र क धार्मिकता की ओर अधिक झुके होने की प्रवृत्ति से मुक्त किया। यद्यपि वह धर्म व नैतिकता का विरोध नही करता, किन्तु उसने राजनीति को साधारण नैतिकता के बन्धनों से मुक्त रखा है। इस दृष्टी से उसके विचार यूरोपीय दार्शनिक मैक्यावली के विचारों का पूर्व संकेत प्रतीत होते है। इस आधार पर उसे 'भारत का मैक्यावली' भी कहा जाता है। सेलीटोर का मत है, कि कौटिल्य की तुलना अरस्तु से करना उचित होगा क्योंकि दोनों ही सत्ता हस्तगत करने के स्थानपर राज्य के उद्देश्यों को अधिक महत्व देते हैं। यथार्थवादी होने के नाते कौटिल्य ने राज्य के व्यवहारिक पक्ष पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया है। कौटिल्य का राजा यद्यपि सर्वाधिकारी है। किन्तु वह जनहित के प्रति उदासीन नही है।

संदर्भ-

1. शास्त्री उदयवीर, कौटिल्य अर्थशास्त्र भाग-2, मेहरचन्द लक्ष्मण दास दरियागंज, नई दिल्ली.
2. कौटिल्य के प्रशासनिक विचार, डा. देव कान्ता शर्मा, प्रिंटवैल पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्युटर्स, जयपुर 1998.
3. इन्द्र एम.ए. कौटिल्य अर्थशास्त्र, राजपाल एन्ड सन्स्, 1990, नई दिल्ली.
4. उदयवीर शास्त्री, कौटिल्य अर्थशास्त्र.
5. वाचस्पती गैरोला, कौटिल्य अर्थशास्त्रम्, वाराणसी चौखम्बा विद्याभवन, 1977
6. हरगोविंद शास्त्री, मनुस्मृती, वाराणसी चौखम्बा संस्कृत संस्थान, 1992.
7. आचार्य मिहिरचन्द्रा भलोक, शुक्रनीतिसार

Coordinator = IQAC
Smt.Sindhutai Jadhao College
Mehkar,Dist.Buldana

Scanned by TapScanner